न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 433/2017

प्रार्थीगण :–

1. मोहन पुत्र पूंजाजी जाति दर्जी निवासी जागसा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. रतनसिंह पुत्र सुरसिंह राजपूत
2. रणछोडराम पुत्र बंशीलाल दर्जी
3. रूपा पुत्र सादुजी दर्जी
4. मफतलाल पुत्र सादुजी दर्जी
5. गिरधारी गोदपुत्र तेजारामजी दर्जी
6. मांगीलाल पुत्र गलारामजी
7. भगवानसिंह पुत्र फुआजी पुरोहित
8. गोविन्दसिंह पुत्र फुआजी पुरोहित
9. मंजुदेवी पुत्री फुआजी पुरोहित निवासी जागसा
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश डाबी वकील

'आदेश'

दिनांक :– 27.12.2017

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा ग्राम सुरसिह का ढाणा के पटवार हल्का जागसा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जसोल, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर के खसरा न0 963 रकबा 57 बीघा 03 विस्वा मे प्रार्थी की सम्पूर्ण खातेदारी क स्थित है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है।विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 23 की खातेदारी भूमि आई हुई है जिससे विप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा बरसात के समय में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 21.07.2017 को

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 सम्मन बाद तामिल के बावूजद अनुपस्थित अतः उक्त के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेखबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक जसोल को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई विन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये विना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Scanned by CamScanner